राजस्थान सरकार वन विभाग

ओर से ashokyadav

क्षेत्रीय वन अधिकारी

DCF UDAIPUR (NORTH)

निमित न्यायालय सहायक वन संरक्षक.

क्रमांक / ENDIV034RNG19929

विषय : — राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत वन विभाग भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को बेदखल करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री koshlya devi निवासी cvbcvb ने वन भुमि ग्राम के खसरा नम्बर 54 आरक्षित / रक्षित वनखण्ड DCF UDAIPUR (NORTH) की 5.00 हैक्ट0 पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। यह वनखण्ड राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या 54 दिनांक 26/10/2017 के द्वारा Reserve Forest घोषित हो चुकी है। क्षेत्र का मानचित्र एवं वन भुमि पर अनाधिकृत कब्जे का विवरण संलग्न है।

अतः श्री koshlya devi को राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अनाधिकृत कब्जे से बेदखल करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : -

भवदीय ashokyadav क्षेत्रीय वन अधिकारी DCF UDAIPUR (NORTH)